न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **स्वदीप सिंह**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3791–पीबीआर/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–9–2013 पारित द्वारा तहसीलदार, बाबई जिला होशंगाबाद प्रकरण कमांक 44/अ–6/2012–13.

— —

सत्यनारायण तिवारी आयु 45 वर्ष
आ0 स्व0 श्री रामेश्वर प्रसाद तिवारी
निवासी ग्राम खरगावली ढाना
तहसील बाबई जिला होशंगाबाद .....आवेदक

विरूद्ध

1 विनोद कुमार शर्मा आ0 श्री देवकरण
निवासी वार्ड नंबर 08 सिवनी मालवा
जिला होशंगाबाद
2 विपिन कुमार तिवारी
3 आशुतोष तिवारी उपरोक्त कमांक 2 लगायत 3
आ0 श्री चंद्रमोहन तिवारी निवासी ग्राम खरगावली
ढाना तहसील बाबई जिला होशंगाबाद

.....अनावेदकगण

श्री विश्वास सोनी अभिभाषक, आवेदक
श्री अभिषेक शुक्ला, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 2 एवं 3

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 26 जून, 2014)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, बाबई जिला होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश 23–9–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार के समक्ष अनावेदक कमांक 2 एवं 3 द्वारा संहिता की धारा 109/110 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके द्वारा ग्राम खरगावली तहसील बाबई जिला होशंगाबाद स्थित भूमि सर्वे कमांक 363/13 रकबा 1.619 हेक्टेयर भूमिस्वामी अनावेदक कमांक 1 विनोद कुमार शर्मा से दिनांक 31–3–2013 को विकय पत्र के माध्यम से कय की गई है और तभी से वे मालिक स्वामी होकर काबिज है । अतः उपरोक्त भूमि पर उनका नामांतरण किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 44/अ–6/12–13 दर्ज किया जाकर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आपत्तियां प्रस्तुत की गई। तहसीलदार द्वारा दिनांक 23–9–2013 को आदेशिका में उल्लेख करते हुये कि आवेदक की ओर से प्रस्तुत आपत्ति का अवलोकन किया गया, प्रकरण केता विकेता के कथन तथा पटवारी रिकार्ड हेतु नियत किया गया । तहसीलदार के इसी आदेशिका के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक को 7 दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करना थे, परन्तु उनके द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये । अतः प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों के परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है । इस प्रकरण में केवल यह बिन्दु विचारणीय है कि क्या तहसीलदार द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आपत्ति का निराकरण किये बगैर आगामी कार्यवाही करने में अवैधानिकता की गई है अथवा नहीं ? इस संबंध में आवेदक की ओर से निगरानी मेमों में मुख्य रूप से यह आधार उठाया गया है कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आपत्ति आवेदन पत्र का निराकरण किये बगैर आगामी कार्यवाही संपादित कर दी गई है, जो कि पूर्णतः विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी आधार लिया गया है कि तहसीलदार द्वारा बिना आवेदक की आपत्ति का अवलोकन किये बिना निराकरण किये प्रकरण केता विकेता के कथन एवं पटवारी के रिकार्ड हेतु नियत करने में पूर्णतः अवैधानिक कार्यवाही की गई है।

4/ प्रतिउत्तर में अनावेदक कमांक 2 एवं 3 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि आवेदक की आपत्ति तहसील न्यायालय में लंबित है और उसका अभी निराकरण नहीं किया गया है, परन्तु आवेदक द्वारा प्रकरण तहसील न्यायालय के समक्ष लंबित रखने के उद्देश्य से निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो

कि निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी आधार लिया गया कि आवेदक द्वारा परस्पर विरोधी आधारों पर आपत्तियां प्रस्तुत की गई है, जिससे स्पष्ट होता है कि आवेदक का मूल उद्देश्य अनावश्यक रूप से तहसील न्यायालय के समक्ष प्रकरण लंबित रखना है । अनावेदक कमांक 2 एवं 3 की ओर से लिखित तर्क में उठाये गये अन्य आधार प्रकरण के गुणदोष से संबंधित है । चूँकि प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण अभी तहसीलदार द्वारा किया जाना है, इसलिये उक्त आधार विचारणीय नहीं होने से उनका उल्लेख करना औचित्यपूर्ण नहीं है ।

5/ अनावेदक कमांक 1 के सूचना उपरान्त अनुपस्थित होने से उसके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की गई है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेशिका दिनांक 23—9—2013 के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन आदेशिका में यह उल्लेख किया गया है कि आपत्तिकर्ता सत्यनारायण तिवारी द्वारा अभिभाषक श्री विश्वास सोनी द्वारा आपत्ति पेश । आपत्ति का अवलोकन किया । प्रकरण विक्रेता एवं क्रेता के कथन तथा पटवारी रिकार्ड हेतु, इससे यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आपत्तियों का केवल अवलोकन किया गया है और उनका निराकरण नहीं किया गया है, जो कि विधिक प्रकिया के अनुरूप नहीं है । तहसीलदार का यह विधिक दायित्व है कि सर्व प्रथम आवेदक की ओर से प्रस्तुत आपत्तियों का निराकरण करते तत्पश्चात आगामी कार्यवाही की जाती, परन्तु अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किये जाने के कारण तहसीलदार का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, बाबई जिला होशंगाबाद द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 23—9—2013 निरस्त किया जाता है । प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार, बाबई को भेजा जाता है कि सर्व प्रथम आवेदक की ओर से प्रस्तुत आपत्ति का निराकरण किया जाये । तत्पश्चात प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जाये ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर